1/94752/2021

संख्या-9/2021/ए-1-13 ए0जी0 /दस-2021-10(38)/2011

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 05 सितम्बर, 2021

विषय - लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सुश्री मीनाक्षी शर्मा अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-216/NCR/UP/SFAR/37-2020 दिनांक 05 अगस्त, 2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे संलग्न पत्र में की गयी अपेक्षानुसार लम्बित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,
एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 9 / 2021/ ए-1-13 ए0जी0 (1) /दस-2021- 10(38)/2011 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6011

No...../MS/GI/2021

Meenakshi Sharma
Additional Deputy Comptroller & Auditor General

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110124
COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL
OF INDIA
Pocket 9, Deen Dayal Upadhyaya Marg,
New Delhi - 110124

D.O. No: 216/NCR/UP/SFAR/37-2020

दिनांक / Dated ..... **05 August 2021**

21-13 वित्त/सा/2021

Dear Shri Tiwari

F/No-1768619/Audit/4

This is to draw your attention to the issue of non-submission of Utilisation Certificates (UCs) by various departments of Uttar Pradesh over the years. This matter came up during a review meeting by the CAG of India. The Audit Reports relating to State Finances have been highlighting the chronic pendency of UCs every year but the compliance there against is far from satisfactory.

2. As on 31 March 2020, 41,376 UCs for ₹ 15,697.94 crore were awaited, which included 28,692 outstanding UCs for ₹ 6,211.41 crore relating to the year 2001-02 to 2009-10. In the absence of UCs, there is no assurance that grants-in-aid disbursed have actually been incurred for the purpose for which they were sanctioned/authorised by the Legislature. Moreover, high pendency of UCs is fraught with the risk of misappropriation, embezzlement and diversion of funds. This is also in violation of codal provisions contained in Financial Handbook which requires submission of UCs to the Accountant General not later than 18 months from the date of sanction of specific purpose grants which are expected to be utilised during next 12 months.

3. With a view to effecting financial discipline, it is requested that necessary instructions may be issued to administrative departments to clear the pendency of UCs in a time bound manner.

Best Wishes

Yours Sincerely,

Meenakshi

(Meenakshi Sharma)

Shri Rajendra Kumar Tiwari, I.A.S
Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow

ACS, वित्त
11.08.2021
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सचिव (S)
13/8/2021
(एस० राधा चौहान)
अपर मुख्य सचिव, वित्त / विशेष आयुक्त
संस्थागत वित्त एवं व... परियोजना
उत्तर प्रदेश शासन

13/8/2021
VS (AD)
V.M

13/8/21
(विजय कुमार)
निजी सचिव,
सचिव, वित्त विभाग
उ० प्र० शासन।

वित्त (लेखा) अनु-1
(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
श्री संजय
16-8-2021

दू० भा० / Phone : +91-11-23237848 फैक्स / Fax: +91-11-23234077 ई–मेल / E-mail :sharmaM@cag.gov.in